

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापक-5708 दिनांक-27.09.2021 में सम्मिलित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.10.2021 में मद् संख्या-16 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतूरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

16. श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, राहुरसा के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, अरवल में पदस्थापन काल में निविदा में अनियमितता बरतने एवं अन्य प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (ix) के तहत वृहत दण्ड के रूप में 'अनिवार्य सेवानिवृति' के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

22
1.10.21
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सी।म
कुमार रवि.

सी।म

9. 4. 61

सी।म
इ. 3. 21
आ. 1. 61
14. 10. 21

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संशोधन-भवन / 10-आरोप(अर्थव्यय)-18/2018

6201(ग) पटना, दिनांक- 26.10.21

:: अधिसूचना ::

श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल समिति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, सहरसा के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्य प्रमंडल अरवल में पदस्थापन काल में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना में एकल बीड में होने वाले निविदा डबल बीड में आमंत्रित करने तथा प्राप्त निविदा को दो माह तक रोके रहने एवं निविदा के अंकित दरों में पदाधिकारियों की मिली-भगत से छेड़-छाड़ कर सरकार का राजस्व की क्षति पहुँचाने के आरोप में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-1505 दिनांक-13.11.2017 द्वारा श्री झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-383 दिनांक-23.02.2018 द्वारा विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

2. श्री झा के द्वारा निविदा में की गयी अनियमितता पर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा तय किये गये आरोप पर विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन पर तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त की गयी, जिसमें समिति द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के निष्कर्ष से सहमत होकर मंतव्य व्यक्त की गयी।

3. जाँच प्रतिवेदन पर असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-7444(भ0) अनु0 दिनांक-14.08.2019 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में श्री झा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिया गया।

4. श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। श्री झा का द्वितीय बचाव ध्यान (अभ्यावेदन) को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप एवं कई अन्य प्रमाणित आरोपों के कारण श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (ix) के आलोक में वृहत दण्ड के रूप में "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" किये जाने का दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

5. श्री झा को कई अन्य आरोपों के लिए पूर्व में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किये जा चुके हैं :-

(क) विभागीय अधिसूचना संख्या-1414(भ0) दिनांक-15.02.2018 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित / संसूचित किया गया :-

- "निन्दन" (आरोप वर्ष, 2014-15)
- दो वर्षों के लिए संचयात्मक प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

(ख) विभागीय अधिसूचना संख्या-2066(भ0) दिनांक-06.03.2018 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित / संसूचित किया गया :-

- "निन्दन" (आरोप वर्ष, 2009-10)
- दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) विभागीय अधिसूचना संख्या-607(भ0) दिनांक-20.01.2020 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित / संसूचित किया गया :-

- "निन्दन" (आरोप वर्ष, 2014-15)
- दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

कृपया

(घ) विभागीय अधिसूचना संख्या-8635(भ0) दिनांक-06.11.2020 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :-

i. "निन्दन" (आरोप वर्ष, 2019-20)

(ङ) इसके अतिरिक्त श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, सहरसा के विरुद्ध T 04 PWD पथ से झारवरवा पथ (10km) PMGSY कोर नेटवर्क में शामिल रहने के बावजूद पथ को खण्ड-खण्ड में कर वर्ष, 2007-08 में राज्य योजना शीर्ष MNP के अन्तर्गत चौतरवा से कोल्हुआ पथ (लम्बाई 08km) एवं वर्ष, 2009-10 में राज्य योजना शीर्ष ASAD अन्तर्गत कोल्हुआ से भैरोगंज (लम्बाई 6.5km) में निर्माण कराने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आरोप प्रपत्र-"क" गठित कर, अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसपर विभागीय संकल्प संख्या-32(भ0) दिनांक-05.01.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। इस संबंध में सुनवाई जारी है।

6. उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु विभागीय पत्रांक-381(भ0)अनु0 दिनांक-18.01.2021 द्वारा पत्र भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा पत्रांक-932 दिनांक-15.07.2021 से विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

7. श्री झा की जन्मतिथि-05.02.1963 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि-28.02.2023 है।

8. वर्णित तथ्यों के आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-01.10.2021 को हुई बैठक में मद संख्या-16 के रूप में श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, सहरसा के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, अरवल में पदस्थापन काल में निविदा में अनियमितता बरतने एवं अन्य प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (ix) के तहत वृहत दण्ड के रूप में "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. अतएव श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, सहरसा को निविदा में अनियमितता बरतने एवं अन्य प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (ix) में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

i. "अनिवार्य सेवानिवृत्ति"।
10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(मनीष कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
26.10.21

6201(9) पटना, दिनांक-
ज्ञापांक-भवन/10-आरोप(अरवल)-18/2018.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आपांक-भवन/10-आरोप(अरवल)-18/2018. 6201 (1)

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय गुदणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/7

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आपांक-भवन/10-आरोप(अरवल)-18/2018. 6201 (1)

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग

के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/अवर सचिव/आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री सुमन कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

वि. २०१८